Certified Copy of Application dated 21-3-2022, status report, FSL Report.
Case relating to the Court of Ms. Gauri Narang, CJ (JD) -cum-JMIC, Fatehabad.

Case No. 9/22 miss appl.
D.O.I 21-3-2022.
Dated of order 12-4-2022

IN THE COURT OF MS. GAURI NARANG, JUDICIAL MAGISTRATE, FIRST CLASS, FATEHABAD.

State of Haryana Versus Akshay Nidhi etc.

FIR No: 63 dated 18.04.2021
U/s: 420/467/468/471/506/120B of IPC
Police Station: Bhattu Kalan

Application for calling the status report from the concerned police authorities/Investigation Officer regarding the application of the applicant against Akshay Nidhi and others and wants to report of FSL Madhuban of specimen signatures of Akshay Nidhi and Nisha Rathor.

R/Sir,

It is respectfully submitted by the applicants/ complainants, that they want to know about the actual status of the above mentioned case, which was registered against the applicant and his family members :-

1. That the applicants are the witness complainants of the present case.
2. That the applicants want to calling the status report from the concerned police authorities/Investigation Officer regarding Akshay Nidhi and others, but the **status report has not been given by the Police Authorities/ Investigation Officer of PS Bhattu Kalan regarding Akshay Nidhi and others** and the applicants also want to report of FSL Madhuban of specimen signatures of Akshay Nidh and Nisha Rathor.

It is therefore, prayed that, the application of the applicant, may kindly be allowed and calling the complete status report from the concerned police authorities regarding the above noted Akshay Nidhi and others and be received the report of FSL Madhuban of specimen signatures of Akshay Nidha and Nisha Rathor.

Applicants
1-Sunita Chundawat wife of Ranveer Singh (daughter of Rai Singh), resident of House no. 1518, Sector-9, Faridabad.
2-Desh Kanwar Jadon widow of Jaideep Singh Jadon (daughter of Rai Singh), resident of House no. F-29, 4th Floor, Chinav Apartment, Hari Shankarpuram, Gwalior (M.P.)
3- Sansar Kanwar wife of Devender Partap Singh (daughter of Rai Singh), resident of Plot no. 13B, Arun Vatika, Hari Nagar, Jhothwara, Jaipur (Rajasthan)

सुनीता चुण्डावत
Desh Kanwar
Sansar Kanwar

Dated: ~~17-3-22~~ 21.3.22

Through: **S.S. Dandiwal**
Advocate, Fatehabad
and Rohit Sharma, Adv.

थाना भट्टु कला जिला फतेहबाद

राज्य द्वारा – सुनिता चुडांवत पत्नी श्री रणवीर सिह पुत्री रायसिह निवासी हाउस नम्बर 1518 सैक्टर 9 फरिदाबाद

मुकदमा न0 63 दिनाक 18.04.2021 धारा 420,467,468,471,506,120B IPC थाना भट्टु कला।

बनाम**********

प्रगति रिपोर्ट

श्रीमान जी,

हालात मुकदमा हजा इस प्रकार से है कि दिनाक 18-04-2021 को परिवाद नम्बरी 840-पी दिनाक 02-04-2021 बाद राय थाना मे प्राप्त हुई जिसका सार इस प्रकार से है, सेवा में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पुलिस, फतेहाबाद। विषय:- दरखास्त बराये किए जाने कानुनी कार्यवाई बरखिलाफ 1- अक्षयनिधि राठौड पुत्र श्री अश्वपत सिहं राठौड पुत्र श्री रायसिहं, 2- श्रीमती निशा राठौड विधवा अश्वपत सिहं, निवासीयान गांव बाजेकां, तहसील वा जिला सिरसा, 3- अजयपाल पुत्र हजारी सिहं निवासी गांव ढिंगसरा तहसील वा जिला फतेहाबाद। मो.न. 86848-12345, 94663-73393। श्रीमान जी, प्रार्थीयान निम्नलिखित निवेदन करती है कि – 1. यह कि प्रार्थीया नंबर 1 सुनिता चुडांवत पत्नी श्री रणवीर सिह (पुत्री रायसिह) निवासी हाउस नम्बर 1518 सैक्टर 9 फरिदाबाद प्रार्थीया नंबर 2. देश कंवर जादों विधवा जयदीप सिंह जादों (पुत्री श्री रायसिंह) निवासी मकान नंबर एफ-29, चौथी मंजिल, चिनाव अपार्टमेंट, हरी शंकरपुरम्, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) वा प्रार्थीया नंबर 3. संसार कंवर पत्नी देवेन्द्र प्रताप सिह (पुत्री रायसिह) प्लाट नम्बर 13 बी अरुण वाटिका हरीनगर झोटवाडा , जयपुर राजस्थान की स्थायी निवासी है। 2 यह है कि प्रार्थिया नम्बर 2 अपनी शादी के बाद ग्वालियर मे रहती थी और प्रार्थिया का एक बेटा अपने बच्चो सहित विदेश मे रहता है। प्रार्थिया के पति के स्वर्गवास के बाद प्रार्थिया ग्वालियर मे अकेली रह गई , इसलिये प्रार्थिया अपने भाई कुलदीप सिह पुत्र रायसिह के पास गावं ढिगसरा तहसील वा जिला फतेहाबाद मे आकर रहने लगी और अपने भाई कुलदीप सिह के घर के कामकाज और खेती बाडी मे उसका सहयोग करने लगी क्योंकि प्रार्थिया का भाई कुलदीप सिह तलाकशुदा था और उसके कोई बच्चे नही थे। 3. यह कि प्रार्थीयान के पिता राय सिहं के दो बेटे अश्वपत सिहं वा कुलदीप सिहं तथा हम तीन बहने थी। जिसमें से प्रार्थीयान का भाई अश्वपत सिहं (यानि दोषी का पिता) का स्वर्गवास हो चुका है और अब दिनांक 27.09.2020 को प्रार्थीयान के भाई कुलदीप सिहं की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीयान के भाई कुलदीप सिहं की गांव मानावाली, ढिंगसरा तहसील वा जिला फतेहाबाद तथा गांव बाजेकां तहसील वा जिला सिरसा में जमीने हैं और चूंकि प्रार्थीया का भाई कुलदीप सिहं तलाकशुदा था और उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए प्रार्थीया के भाई कुलदीप सिहं की हम तीनो बहनें (प्रार्थियान) ही कानूनी वारिसान हैं। 4. यह कि प्रार्थीयान के भाई कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद हम तीनों बहनों के हक में इंतकाल विरासत नंबर 5585 दिनांक 28.10.2020 बरुये रपट रोजनामचा वाक्याती नंबर 49 दिनांक 16.10.2020, वाक्या मौजा ढिंगसरा तहसील वा जिला फतेहाबाद दर्ज हो चुका है। इसके अलावा हम तीनों बहनो के हक मे इंतकाल विरासत नंबर 3711 दिनांक 21.10.2020, वाक्या मौजा मानावाली तहसील वा जिला फतेहाबाद दर्ज वा मंजूर हो चुका है। गांव ढिंगसरा वाले इंतकाल के बाबत दोषी अक्षयनिधि ने प्रार्थीयान के स्वर्गवासी भाई कुलदीप सिंह पुत्र रायसिहं की विरासत का इंतकाल रुकवाने हेतु एक दरखास्त तहसीलदार साहब फतेहाबाद को दी, जो कि तहसीलदार साहब ने उपरोक्त मामले में विवादास्पद करार देते हुए, एसडीएम साहब फतेहाबाद की अदालत में भेज दिया, जो कि पैंडिग है। 5. यह कि दोषी अक्षयनिधि जो कि हमारे मृतक भाई अश्वपत

सिंह का बेटा है, ने प्रार्थीयान के मृतक भाई कुलदीप सिंह की चल – अचल सम्पती की एक फर्जी वसीयत बासाजिश गवाहान अजयपाल पुत्र हजारी सिंह निवासी ढिंगसरा वा निशा राठौड (माता अक्षयनिधि) से साजबाज करके जाली वसीयत फर्जी हस्ताक्षर करके तैयार कर ली है और उस पर दिनांक 07.08.2020 डाल दी है और उस फर्जी वसीयतनामा को कुलदीप सिंह की मृत्यु के बाद दिनांक 04.12.2020 को बरुये रजिस्टर्ड दस्तावेज संख्या 170 दिनांक 04.12.2020 रजिस्टर्ड करवा लिया और उपरोक फर्जी वसीयत के आधार पर प्रार्थीयान के स्वर्गवासी भाई कुलदीप सिंह पुत्र रायसिंह निवासी ढिंगसरा तहसील वा जिला फतेहाबाद की जायदाद को गैरकानूनी तरीके से हडपना चाहता है। इस कृत्य के खिलाफ प्रार्थीयान के पास के पास सिविल अधिकार अलग से है। 6. यह कि उपरोक्त दोषी नंबर 1, जो कि प्रार्थीयान का भतीजा है और उपरोक्त झूठी वसीयत के आधार पर बार-बार गांव ढिंगसरा मे आता है और प्रार्थीया को धमकियां देता है कि तुमने यदि कुलदीप सिंह की भूमि ना छोडी तो मैं तुम्हे और तुम्हारी दोनो अन्य बहनो को जान से मार दूंगा। इसके अलावा दोषी अक्षयनिधि हमारे खेतो मे जाकर, हमारे मुजारो को भी धमकियां देता है कि फसल पकते ही मैं आकर फसल काटकर ले जाऊंगा, क्योकि यह मेरी जमीन है और यदि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार-मारकर खेत से बाहर निकाल दूंगा। 7. महोदय, उपरोक्त दोषीगण ने बासाजिश गवाहान दोषीगण नंबर 2 वा 3 प्रार्थीयान के स्वर्गवासी भाई के झूठे हस्ताक्षर करके, एक झूठी वसीयत प्रार्थीया के स्वर्गवासी भाई कुलदीप सिंह की बनवा ली है, जिसमें उसने कुलदीप सिंह की मृत्यु से 1 माह 20 दिन पहले की तारीख डालकर और उसकी मौत के बाद उसे रजिस्टर्ड करवा लिया और अब उस वसीयत के आधार पर प्रार्थीया और प्रार्थीया के मुजारों को धमकियां दे रहे है। दोषीगणों ने प्रार्थीयान की जायदाद को फर्जी वसीयत के सहारे हडपने के लिए कानूनी तौर पर जुर्म किया है और अपने आपको फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी वसीयत को उपयोग करने की कोशिश करके, अपराध दंडनीय किया है। 8. यह कि इस बारे मे प्रार्थियान ने हैड राईटिग एंड फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट श्री शमेशर सिह मलिक से प्रार्थियान के स्वर्गवासी भाई कुलदीप सिह के असल और वसीयत पर किये गये फर्जी हस्ताक्षरो की जाचं करवाई जो कि उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार फर्जी पाए गए । रिपोर्ट की फोटो कॉपी दरखास्त के साथ सलग्न है। अत: आपसे गुजारिश है कि उपरोक्त दोषिगण के खिलाफ प्रार्थियान के स्वर्गवासी भाई कुलदीप सिह के फर्जी हस्ताक्षर करके जाली वसीयत तैयार करने, धोखाधडी करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप मे भारतीय दंड सहिता की धारा 420/467/468/471/120बी/506 के तहत केस दर्ज किया जावे। sd सुनिता चुडावत, Dash Kanwar, Sansar Kanwar, प्रार्थियान 1 सुनिता चुडांवत पत्नी श्री रणवीर सिह पुत्री रायसिह निवासी हाउस नम्बर 1518 सैक्टर 9 फरिदाबाद 2. देश कंवर जादों विधवा जयदीप सिंह जादों (पुत्री श्री रायसिंह) निवासी मकान नंबर एफ-29, चौथी मंजिल, चिनाव अपार्टमेंट, हरी शंकरपुरम्, ग्वालियर (मध्यप्रदेश), हाल आबाद गांव ढिंगसरा, तहसील वा जिला फतेहाबाद 3. संसार कंवर पत्नी देवेन्द्र प्रताप सिह (पुत्री रायसिह प्लाट नम्बर 13 बी अरुण वाटिका हरीनगर झोटवाडा, जयपुर राजस्थान की स्थायी निवासी है मोबाईल नम्बर 81097-07959 दिनाक 01.04.2021 जो उपरोक्त दरखास्त कि कानुनी राय उप न्यायावादी कार्यालय पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद से थाना में प्राप्त हुई। कानुनी राय निम्न प्रकार से है:- I have perused the reference whereby opinion has been sought to what cognizable offences are made out on the basic of allegation and accompanied with the complaint or brought on the record . I have also one through the report of Sh. Shamsher Singh Malik (Hand Writing, Fingerprints Expert & Forensic Science Consultant Hisar) and found that the disputed signature marked as Q-1 is impersonated forget signature of deceased Kuldeep Singh on "Will" dated 07.08.2020 . Therefore keeping in view of facts and circumstances of the

present matter, I am of the view that prima facie cognizable offence under section 420/467/468/471/120-B/506 Of IPC are attracted Opinion is submitted for your your kind perusal, please sd Vipin Kumar DDA DPO Fatehabad 15.04.2021जो दरखास्त नम्बर 840-पी दिनाक 02.04.2021 व उप न्यायवादी कि कानुनी राय से सुर्त जुर्म 420/467/468/471/506/120-B IPC का सरजद होना पाया जाने पर अभियोग बा जुर्म उपरोक्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियोग की तपतीश जीतराम उप नि0 के हवाले की जो दिनाक 29.04.2021 को तहसील कार्यालय फतेहबाद से इन्तकाल न0 5585 की छाया प्रतिया वा जमाबन्दी ढिगसरा की कम्पयुटर कापिया तथा इन्तकाल न0 3711 की छाया प्रतिया वा जमाबन्दी गाव मानावाली की कम्पयुटर कापिया प्राप्त करके बजरिया सम्पति जब्ति मीमो द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया व्यानात गवाहन अकित किये गये। दिनाक 13.05.2021 को मुदईया ने कुलदीप सिह के हस्ताक्षर शुद्धा कागजात पेश करने पर कब्जा पुलिस मे लिए ब्यानात गवाहन लिखे। दिनाक 20.05.2021 को अक्षयनिधी राठोड पुत्र अश्वपत सिह राठोड वासी बाजेका को नोटिस जेर धारा 91 Crpc दिनाक 01.06.2021 के लिए दिया। दिनाक 21.05.2021 को मुदईया संसार कंवर ने कुलदीप सिह के पुराने हस्ताक्षर शुद्धा कागजात पेश करने पर कब्जा पुलिस मे लिए ब्यानात गवाहन अकित किये। दिनाक 25.05.2021 को अजयपाल पुत्र हजारी सिह वासी ढिगसरा को दिनाक 27.05.2021 को शामिल जांच होने बारे नोटिस दिया क्योकि अजयपाल के बसीयत पर बतोर गवाह हस्ताक्षर किये हुए है जिससे बसीयत बारे पुछताछ की जानी है। लेकिन दिनाक 27.05.2021 को अजयपाल शामिल जांच ना होकर माननीय अदालत मे अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। दिनाक 01.06.2021 को अक्षयनिधी राठोड पुत्र अश्वपत सिह राठोड वासी बाजेका शामिल जांच हुआ परन्तु असल वसीयत नामा पेश ना किया ना ही अन्य कोई दस्तावेज पेश किये। दोराने तफतीस दिनांक 26.06.2021 को अक्षयनिधी पुत्र स्व.अस्वपत सिहं वासी बाजेकां जिला सिरसा ने एक वसीयत नामा प्रलेख नम्बर 170 दिनांक 04.12.2020 पैश किया जिसको बतोर वजह सबुत सम्पति जब्ती फार्म दवारा कब्जा पुलिस मे लिया गया ।सम्पति जब्ती फार्म पर हस्ताक्षर गवाह करवाये गये व ब्यानात गवाहन लिखे गये। दोराने तफतीस दिनांक 29.06.2021 को अभियोग मे नामजद अक्षयनिधी पुत्र स्व.अस्वपत सिहं वासी बाजेकां जिला सिरसा , निशा रानी पत्नी स्वर्गीय अस्वपत सिहं वासी बाजेकां जिला सिरसा व अजयपाल पुत्र हजारी सिहं वासी ढिगसरा की बा अदालत श्री सुरेन्द्र कुमार ASJ फतेहाबाद से अतंरिम जमानत होने पर शामिल तफतीस किये गये। दोराने तफतीस दिनांक 30.06.2021 को निशा राठोड व अजयपाल से पुछताछ की गई व नामजद अजयपाल ने एक अदद कापी पैश की जिस पर शुरू मे पहले पेज पर 24 July 2018 लिखा है जिस पर कुलदीप सिहं के ज्यादातर पेजो पर हस्ताक्षर है पेश की जिसको बतोर वजह सबुत सम्पति जब्ती फार्म दवारा कब्जा पुलिस मे लिया गया ।सम्पति फार्म पर हस्ताक्षर किये ।ब्यान गवाह लिखा गया। अभियोग का आगामी अनुस्धान उप. नि. महेन्द्र सिहं 490/एच थाना भटटूकलां दवारा अमल मे लाया गया दोराने तफतीस दिनांक 21.08.2021 को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैक ढिगसरा से विड्राल सलीप दिनांक 27.07.2020 मुबलिक एक लाख रूपये खाता नम्बर 812701000447507 जिस पर कुलदीप के हस्ताक्षर है को बतोर वजह सबुत सम्पती जब्ती फार्म दवारा कब्जा पुलिस मे लिया गया सम्पती जब्ती फार्म पर हस्ताक्षर पैश कर्ता करवाये गये व ब्यान लिखा। दोराने तफतीस दिनांक दिनांक 25.08.2021 को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैक ढिगसरा से कुलदीप पुत्र राय सिहं वासी ढिगसरा के बैक खाता सख्या 812701000447507 खोलने का फार्म दिनांक 01.09.2012 को बतोर वजह सबुत सम्पती जब्ती फार्म दवारा कब्जा पुलिस मे लिया गया सम्पती जब्ती फार्म पर हस्ताक्षर पैश कर्ता करवाये गये व ब्यान लिखा ।दोराने तफतीस दिनांक 30.09.2021 को अभियोग मे हासिल किया गया रिकार्ड फिगर प्रिन्ट ब्युरो FSLमधुबन मे जमा करवाया गया था जिसका नतीजा प्राप्त हो चुका है

थाना अदालत जिला फतेहाबाद

जिसका सार इस प्रकार से है।The aforesaid divergences are fundamental in nature and are beyond the range of natural variations and intended disguise and when considered collectively they lead to the opinion that the person who wrote red enclosed signatures stamped and marked A 1 to A 15 did not write the red enclosed signature similarly stamped and marked Q1. तहरीर किया है। दिनांक 10.03.2022 को मुकदमा हजा मे सुनवाई मान्नीय पंजाब एवंम हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ मे CRM-M No 30711-2021 NISHA RATHORE AND ORS VS STATE OF HARYANA AND OTHERS ,Through Video Conferencing Learned counsel for the parties sumbit that civil proceeding arising out of the disputed Will are pending adjudication before the civil Court at Sirsa and Fatehabad , In this view of the matter further proceeding in Fir No 63 Dated 18.04.2022 shell remain stayed. Adjourned sine die awaiting the decision of the civil court के आदेश प्राप्त हुए है ।जो माननीय हाईकोर्ट पजाब एवम हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगड के आगे जो भी आदेश प्राप्त होगे अभियोग मे नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी

थाना भट्टु कला * जिला फतेहाबाद *

प्रबन्धक अफसर
थाना भट्टु कला
दिनाक 12.04.2022

FORENSIC SCIENCE LABORATORY, HARYANA
MADHUBAN, KARNAL

1. Please quote the Report/Opinion No. & Date in case of any further corresponding or summons.
2. Report shall not be reproduced except in full, without written approval of the Director.

REPORT (OPINION) FSL (H) NO. 21/FSLMBN/2109306003 DATED 11th November, 2021

The report is per-se admissible under 293 Cr.P.C.

To

The Dy. Supdt. of Police (TF),
Fatehabad.

The documents forwarded with your Memo No. 13148620210928196295/Ref. No 63 dated 28.09.2021 in connection with Case FIR No. 63 dated 18.04.2021 U/S 420/406/467/468/471 IPC Police Station Bhattu Kalan and received in Documents Division on 30.09.2021.

EXHIBITS

QUESTIONED: Red enclosed English signature of 'Kuldip Singh' marked Q1 on a वसीयत नामा bearing प्रलेख न0 170 दिनांक 04.12.2020 – consisting in Two (02) sheets in a अतिरिक्त बही न0 3, जिल्द न0 304/74, वसीका न0 169 to 218 dated 03.12.2020 to 12.01.2021 of the office of उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (फतेहाबाद).

STANDARDS: Red enclosed admitted signatures marked A1 to A7 on an Account opening form in the name of Kuldeep Singh of Haryana Gramin Bank, marked A8 to A10 on a Withdrawal slip of Sarva Haryana Gramin Bank and marked A11 to A15 on लेख बयनामा वाक्या मोजा bearing प्रलेख न0 2820 दिनांक 20.07.2018 (consisting in Two (02) sheets) stated to be of Sh. Kuldip Singh.

LABORATORY EXAMINATION

All the documents were carefully and thoroughly examined with Scientific Instruments, such as, Hand Magnifier, Stereo Zoom Micro-Scope etc. under different lighting conditions and I am of the opinion that:

OPINION-1: On inter-se comparison of admitted signatures marked A1 to A7 (dated 01.09.2012), marked A8 to A10 (dated 27.07.2020) and marked A11 to A15 (dated 20.07.2018) reveals that all these signatures are freely written, do not show any evidence of imitation in their line quality, show natural variations which are generally observed in the genuine signatures of an individual written over a period of time under varying circumstances and are inter-se consistent among them.

Comparison of admitted signatures marked A1 to A15 with questioned signature marked Q1 (dated 07.08.2020) show differences in the execution of character/(s), such as: Movement in the formation of buckle of character 'K' along with nature, shape of the body part of character 'u' along with nature of its terminal stroke, nature of the body part of character 'l', nature of the body staff of character 'i' together with nature and location of its 'dot', location of commencement and nature of the middle body part of character 'S' together with nature of its bottom part, isolated manner of execution of character 'i' and character appears to read as 'u' but representing 'n', shape of the body part of character 'g', manner of execution and shape of the body part of character 'h' as observed in questioned signature are nowhere observed in admitted signatures;

Differences are also observed in the nature and class of other elements of writing, such as: Writing movement, Writing skill, Speed, Relative size and proportion of characters;

The aforesaid divergences are fundamental in nature and are beyond the range of natural variations and intended disguise and when considered collectively they lead to the opinion that **the person who wrote red enclosed signatures stamped and marked A1 to A15 did not write the red enclosed signature similarly stamped and marked Q1.**

ENCLS: Documents stamped and marked A1 to A15 in One (01) Withdrawal slips, Two (02) Sheets and One (01) Account opening form.

NOTE: (i) The original document containing questioned signature marked Q1 on a वसीयत नामा bearing ~~प्रलेख~~ न0 170 दिनांक 04.12.2020 – consisting in Two (02) sheets in a अतिरिक्त वही न0 3, जिल्द न0

304/74, वसीका न0 169 to 218 dated 03.12.2020 to 12.01.2021 of the office of उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (फतेहाबाद) have been examined, photographed and returned to the bearer Sh. Sandesh Kumar (clerk) O/o Tehsil, Fatehabad came along-with SI Mahender Singh No. 490/HPS Bhattu Kalan.

(ii) Documents stamp and marked A1 to A15 were received in One (01) sealed paper envelope bearing seals of 'NK' vide RC No. 23148620210929196639/Ref No. 336 dated 29.09.2021 through SI Mahender Singh No. 490/HPS Bhattu Kalan. The seals were intact and tallied with the sample seals.

(iii) All the documents sent to this laboratory for examination and the case report have been sealed with the seals of AD(DOCS)/FSL(H).

DR. SANJEEV KUMAR
Assistant Director (Documents)
Forensic Science Laboratory
Haryana, Madhuban (Karnal)

Seen & Sho Bhattu Kalan
for necessary Action.
DySP (TF) Fbd
DT 08.12.2021

21-FSLMBN-2109306003

Application No. 535
Date of Presentation 16-4-2022
Date of recipt of record 20-4-2022
Number of pages 8 Pages
Cost of copy Rs. 8
Urgent fee Rs. ......
Search fee (if any) Rs. ......
Name of the Copyist ......
Date of preparation 20-4-2022
Date on which the copy Examined and attested 20-4-2022
Date on which the copy issued to the applicant 20/4/22